न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2019 (GCMS 2019/00123)	08.07.2019	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.– 8094122765 मैसर्स तिरूपति फाईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरूपति फाईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी – 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2019 को समय 02.50 पीएम पर मैसर्स तिरूपति

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फ्राईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9, सेमलपुरा चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुँचें। वहां पर राजेश सालवी पुत्र शिवलाल उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय हेतु निर्माण कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। विक्रेता राजेश सालवी ने बताया कि उक्त फर्म के मालिक श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल हैं जो कि मौके पर मौजुद नहीं थे। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह व श्यामलाल वैष्णव की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 500–500 ग्राम (07 प्लास्टिक बैग **X** 60 पोलिपेक) की पॉली पैकिंग में खाद्य सामग्री नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) सील्ड अवस्था मे विक्रय हेतु रखा पाया गया। विक्रेता ने बताया कि सभी पैकिंगो में एक ही तरह का माल हैं। उक्त में से 500 ग्राम के सील्ड पैक को ध्यान से देखने पर उस पर नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) लोट नम्बर – 01, नेट वेट–500 ग्राम, एमआरपी–75/–, डेट ऑफ पेकेजिंग– 06–**Feb**–2019, बेस्ट बिफोर 3 मन्थ फ्रोम दे डेट ऑफ पेकेजिंग, मेन्युफेक्चरिंग बाय– श्री ऐजेन्सी, 220/4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान अंकित पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2008 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के चार सील्ड पॉली पैक को वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 300/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों मे बाट कर चार प्लास्टिक डिब्बो मे अलग–अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1014** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब ने जांच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर. समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। नमूना लेने के पश्चात् शेष बची नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार सील सीज कर व्यापारी राजेश सालवी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1317 दिनांक 11.04.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह है कि उक्त फर्मो को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदो के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1317 दिनांक 11.04.2019 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2194 दिनांक 27.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने मिसब्राण्डेड नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही जब्तसुदा उक्त नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) के निस्तारण बाबत् भी आदेश प्रदान करावें। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.03.2020 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 17.02.2021 को पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1014** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 70/Act/ 2019/83 Dated 06-03-2019** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Report No LS 70/ Act / 2019/83
Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act. 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Namkeen (काका 502 शुद्ध) bearing code no, and serial no. AM- 1014 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 14.02.2019 for analysis
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The scals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal inpresset. sent separately, along with the copy of the memorandum in sealed envelope.
I found the sample to be proprietary food falling under Regulation No. 2.12.1 Namkeen of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in condition fit for analysis and has been analyzed on 19.02.2019 to 06.03.2019 and the result of its analysis is given below.
ANALYSIS REPORT-
(i) Sample description:- The sealed sample contained in a plastic box having original company poly pack of 500g.
Ingredients- Moth besan, Gram flour, All Purpose flour, Peas flour, Soya flour, Chana Dal Moong dal, Edible Oil/Palm Oil, lodised Salt, Cornflakes, Poha, Potato, Sing dana, Spices, Pudina, Sugar, Lime extract. Permitted colour(INS no. & specific name absent) and flavours Contravention to Regulation 2.2.2(5)(i), 2.2.2(5)(ii)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance - Yellowish and mixed namkeen Chana Dal Moong dal. Cornflakes. Poha. Potato. Sing dana are visible.
(iii) Label :- Brand- काका 502 शुद्ध, Name of Artical- Namkeen, Mfg. by- Shree Agency. 2204. Gandhi Nagar, Chittorgarh- 312001 (Raj.), Pkd. on- 06.02.2019. Batch No.-01, Best Before 3 Months From the date of Packing, Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Green symbol of veg. Present, Nutrition Information- Given. Fssai lic. No.- 12216019000012.
Opinion: The sample of Namkeen (काका 502 शुद्ध) bearing code no. and serial no. AM-1014 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zf(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006. - The sample is unsafe food under section 3(1)(zz)(ii) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1014** नमकीन (काका 502 ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zz)(ii)** के तहत अनसेफ स्तर का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.– 8094122765 मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) एवं श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी – 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.– 8094122765 मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) एवं अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी – 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त संख्या 1 श्री राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.– 8094122765 मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) को 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये एवं अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरूपति फ्राईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी – 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को 30000/– अक्षरे तीस हजार रूपये के कुल 50000/– रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा माल का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:07 IST
Reason: SelfAttested